

1/15/18

उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभु श्री कृष्ण कुमार
 राजस्थान सरकार
 राजस्थान सरकार
 राजस्थान सरकार

3. रक्षित पत्रावली।

2. प्रार्थी श्री को संवनाया।
 दरमाद शीघ्र किमा जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाया।
 1. तहसीलदार, फतेहपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल

प्रतिदि -

दिनांक : 01-05-2018

क्रमांक : 1876/राजस्व/2018

उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभु श्री कृष्ण कुमार
 राजस्थान सरकार
 राजस्थान सरकार
 राजस्थान सरकार

क्र.सं.	ग्राम	खता संख्या	वर्तमान प्रतिष्ठ (अर्थात् प्रतिष्ठ)	आदेश (शुद्ध प्रतिष्ठ जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है)
1	191

जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमाद के आदेश दिये जाते हैं:-

खता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रतिष्ठ को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया गया है:-
 तहसील व जिला की जमाबन्दी समतल में
 पर राजस्वमान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार के आदेशों के अनुसार
 प्रार्थी के "खता संख्या" प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली व म.अ.नि.

—:आदेश:-

राजस्थान उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभु श्री कृष्ण कुमार (प्रशासन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोठी) कैम्प डिस्ट्रीक्ट